

29/3

वकील आपल उच. / प्रावनापत्र से संबंधित
मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। अब प्रावना
पत्र को चलाने का कोई चिन्ता नहीं है। प्रावना पत्र
इसी इतर पर जारी किया जाता है, फतावली
के जल मुकद होकर नंबर से कर दो। मूल
वाद के साथ निस्तार दो।

सुपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)